

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :-

शोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 511/2017

प्रार्थीगण

1. भीखसिंह पुत्र देवीसिंह 2. दीपसिंह 3. पुखराज 4. बाबुसिंह पुत्रान रायमलजी, 5. गोतमचन्द पुत्र नरसिंहजी जाति राजपुरोहित नि. मनणावास जसोल

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मोतीराम 2. दौलाराम 3. चीरमाराम 4. सांवलाराम 5. सुजाराम पुत्रान दुरमाराम 6. श्रीमती हुआदेवी बेवा दुरमाराम 7. परमाराम 8. मानाराम पुत्रान हुकमाराम सभी जातियान कलबी चौधरी सभी निवासी वागजी का बेश वार्ड नं. 9 आसोतरा रोड़ हाउसिंह बोर्ड तहसील पचपदरा 9. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक : 27.10.2020

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता देवीसिंह महेचा उपस्थित।

विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अचलाराम थोरी उपस्थित।

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि "प्रार्थीगण की पुश्तैनी अविभाजित खातेदारी खेत मौजा जसोल में खसरा सं. 702 एकबा 1 विस्वा, 703 एकबा 26.05 बीघा जुनी उनोमणी डोली अवस्थित है, सेटलमेंट विभाग की खतौनी के खाता नम्बर 386 पर प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम उपभोक्ता के स्थान पर कॉलम नम्बर 3 में अंकित किया गया है, जो स्वयं डोलीदार है, उसी के मुताबिक इन्द्राज खतौनी में दर्ज है, जिनका अलग अलग हिस्सा दर्शाया गया है, वक्त सेटलमेंट विप्रार्थी के पिता दादा हुकमा द्वारा 3900 रुपये में डिकी जुबा म्युटेशन सं. 1/57 रेकर्ड दुरस्त जागीदारान के नाम खुदकाशत किया गया, जबकि बेश नवोड़ा पर भी हुकमा की काशत की जा रही थी, प्रार्थीगण के पिता व दादा के बेरे पर हुकमा ने काशत नहीं की, जिससे स्पष्ट है, कि राजस्व कर्मचारीयो की भूल की वजह से सहवंश से विप्रार्थीगण के पिता दादा हुकमा का नाम दर्ज हुआ, विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को धमका कर वादग्रस्त आराजी से बेदखल करना चाहते है, उक्त भूल की दुरस्ती हेतु दावा पेश किया जा चुका है, दौराने दावा विप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड में परिवर्तन करने हेतु आमादा है, यदि ऐसा किया जाता है, तो प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी, प्रार्थीगण अपने पुश्तैनी हक से सदा के लिये वंचित हो जावेगे, विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर कुठाराघात कर जोर जबरदस्ती से कब्जा प्राप्त करने हेतु आमादा है, मौके की स्थिति में परिवर्तन करने से रोकना आवश्यक है। डोली जागीर पुरोहित को भेट स्वरूप दी जाती थी, कब्जाकाशत प्राप्तकर्ता खातेदार का ही होता था, जो किसी मंदिर, मठ के सामान पुज्नीय जाति पुरोहित को मानते हुए दी गई थी, डोलीदार के अलावा किसी का भी हक हिस्सा या कब्जा नहीं होता है, न ही लगान ली जाती थी, प्रार्थीगण के दादा पिता पशुधन रखने व घास इत्यादी रखने के लिये उपयोग में लिया जाता था, विप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान इत्यादी करने की सुरत में प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी, तथा न्याय मिलने असम्भव हो जावेगा, बेचान करने हेतु तथा मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करने की सुरत में प्रार्थीगण न्याय से महरूम रह जायेगे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया, विप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि, कृषि भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार दिनांक 15.10.1955 के बाद न तो कभी रहा और न हैं, भूमि खसरा सं. 702, 703 विप्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व, कब्जा काशत की रही व हैं,

....2...



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी हुकमा वल्द हरजीराम के खातेदारी कब्जा काशत की रही, उक्त तथ्य खतौनी बंदोबस्त के कॉलम नं. 05 में दर्ज प्रविष्टियों से ही सिद्ध हैं, मौके पर कब्जा काशत राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने यानि दिनांक 15.10.1955 से लगातार बिना किसी रोक-टोक के विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी हुकमा निरन्तर सतत् रूप से कायम रहे व वर्तमान में विप्रार्थीगण काबिज हैं। उक्त तथ्य पर्चा लगान, खसरा बंदोबस्त, खतौनी बंदोबस्त, खसरा गिरदावरी में दर्ज प्रविष्टियों से ही सिद्ध हैं। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता या दादा के स्वामित्व की या मालिकाना की न तो कभी रही और न हैं। प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को अपनी दृष्टि भ्रम की वजह से गलत पढा हैं, तथा कुलालच की वजह से गलत समझा है, वक्त सेटलमेन्ट विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी हुकमाराम का जिस भूमि पर कब्जा काशत था, वो भूमि हुकमाराम के नाम खातेदारी में दर्ज की गई, जिसका उपयोग उपभोग जब तक हुकमाराम जीवित रहे, हुकमाराम द्वारा किया जाता रहा, हुकमाराम के देहान्त के बाद विधिक प्रथम श्रेणी के वारिसान विप्रार्थीगण के द्वारा किया जाता रह रहा हैं, विप्रार्थीगण ने ही भूमि का उपयोग उपभोग किया, इस बारे में भूमिधारक को समय समय पर लगान भी विप्रार्थीगण ने अदा किया, मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा काशत हैं, तथा वक्त सेटलमेन्ट से खातेदारी विप्रार्थीगण के नाम से ही रही व हैं, विप्रार्थीगण के द्वारा जीवन की मूल भूमि सुविधा बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया जो भी विगत 40 वर्षों से नियमित रूप से चालु हालात में है, उपरोक्त सभी तथ्यों की वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण को बखूबी जानकारी रही हैं, राजस्व कर्मचारियों ने कभी भी कोई भूल से या सहवन से हुकमा का नाम दर्ज नहीं किया, यदि सहवन से या भूल से राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टियां दर्ज की जाती तो ऐसी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में विगत 64 वर्ष तक प्रार्थीगण चुपचाप नहीं रहते, अवश्य ही इस सम्बन्ध में कानूनी साराजोई, एतराज करते। जब रेकर्ड में कोई त्रुटि ही नहीं रही हैं, तो उसकी दुरस्ती का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को मात्र तंग परेशान करने एवं खर्च से जैरबार करने की बदनियति पूर्वक वर्तमान वाद पेश किया हैं उक्त भूमि डोली की भूमि होने के कथन गलत हैं, जिस प्रकार से प्रार्थीगण ने कृत्य किये है उससे सम्मान, पूजनीय होना तो दूर रहा, किसी भी लायक नहीं हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत हैं, कि उक्त भूमि का लगान नहीं लगता हो, उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र के संलग्न रसीद लगान से ही झुठे सिद्ध हैं। भूमिधारक को विप्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर लगान की राशि अदा की जाती रही हैं, जब भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण ही नहीं लिया तो भूमि गिरवी रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। उक्त भूमिया में प्रार्थीगण के लैश मात्र भी हक, हित या अधिकार भूमि खसरा नं. 702 व 703 में नहीं रहे व न हैं विप्रार्थीगण का उक्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरित करने का कोई मानस नहीं हैं, फिर भी यदि ऐसा हम विप्रार्थीगण करते हैं, तो ऐसा करने से रोकने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं हैं, विप्रार्थीगण को अपनी विधिक स्वामित्व टाईटल मालिकाना की भूमि के भाग का उपयोग उपभोग, बेचान, बक्षीस, रहन, ट्रांसफर करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, राजस्थान काशतकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों की परिधि में रहते हुए एक खातेदार काशतकार को अपनी भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। जब उक्त भूमि में प्रार्थीगण के लैश मात्र भी हक, हित या अधिकार या सरोकार ही नहीं हैं, तो हम विप्रार्थीगण उक्त भूमि को किसे, कब, किस प्रकार बेचान करेंगे, उनका कोई सरोकार नहीं हैं, जब उक्त भूमि में उनके कोई हित ही न तो कभी निहित रहे और न हैं, तो प्रार्थीगण को न्याय मिलना न तो कभी संभव था, न हैं, और न न्यायसंगत प्रार्थीगण की कभी मांग रही और न हैं, प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही नहीं रहा और न हैं, तो उन्हें दिनांक 30.10.2017 को या अन्यत्र कभी भी बेदखल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और न धमकी देने की कोई आवश्यकता ही हुई। राजस्व रेकर्ड वक्त सेटलमेन्ट से सही व उचित रूप से संधारित किया जाता रहा हैं, जिसकी जानकारी आमजन के साथ वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण को भी बखूबी रही व है। प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना पत्र में जिन भूमियों के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही हैं, उन भूमियों के विप्रार्थीगण काबिज रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट है, काबिज रेकर्डेड खातेदार



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

टीनेन्ट के विरुद्ध भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, दौराने दावा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है, तो काविज रेकर्ड्ड खातेदार विप्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रह जायेंगे, जिससे विप्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णाय क्षति होगी, जिसका मुद्रा या अर्थ में मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा, इस प्रकार तुलनात्मक असुविधा एवं अपूर्णाय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में विप्रार्थीगण को अधिक होगी।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन किया, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि प्रार्थीगण ने जिस भूमि खसरा सं. 702, 703 मौजा जसोल के सम्बंध में अनुतोष चाहा है, के खातेदार विप्रार्थीगण है, प्रार्थीगण ने जो दस्तावेज खसरा बन्दोबस्त, मिसल बन्दोबस्त, पर्चा लगान पेश किये है, उसमें जागीदारान के कॉलम में उनके हकपूर्वाधिकारी के नाम अवश्य दर्ज है, किन्तु वक्त सेटलमेंट खातेदार काश्तकार के कॉलम में विप्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी हकमा का नाम दर्ज है, इस प्रकार उपरोक्त भूमियों के प्रार्थीगण खातेदार नहीं है, और न ही मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा हो, ऐसा कोई दस्तावेज खसरा गिरदावरी या अन्य कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित हो सके कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस प्रकार दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आवश्यक सभी बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुर्णाय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त खातेदार विप्रार्थीगण के हक पक्ष में विद्यमान है, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी, खातेदार अपनी भूमि से उपयोग उपभोग से वंचित रहेंगे। विधिनुसार रेकर्ड्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।



अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार कर रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज तारीख 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा
(रोहित कुमार)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा (राज.)